न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–936 / 2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

श्री मंगलदास तोपनो..............................आवेदक / विक्रेता } **प्रथम पक्ष**

श्रीमती मैनी होरो.. क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार..द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
15.04.2024		

आदेश

आवेदक श्री मंगलदास तोपनो पिता स्व0 हेरमन तोपनो ग्राम–कुल्डा सेरेंग टोली, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
तोरपा	53	314	3121	0.14

आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक श्री मंगलदास तोपनो पिता स्व0 हेरमन तोपनो ग्राम–कुल्डा सेरेंग टोली थाना–तोरपा, जिला–खूँटी को मकान बनाने एवं अन्य जरूरी कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्रीमती मैनी होरो पति स्व0 नॉवेल होरो ग्राम–ईचा, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी को बिक्री करना चाहते है।

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान बनाने एवं अन्य जरूरी कार्य हेतु बिक्री करना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं0 0876933267 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त अनुमति वाद के आलोक में आम नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 182 दिनांक 12.04.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, तोरपा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.25 16:02:53 +05:30
Location: 192.168.1.104